न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2023/339

1. बनवारी पुत्र लल्लू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाटन मेवान, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान।
2. भजन पुत्र लल्लू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाटन मेवान, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान।
3. घनश्याम पुत्र लल्लू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाटन मेवान, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान।
4. रमबाई पुत्री लल्लू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाटन मेवान, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान।
5. चन्द्रवती पुत्री लल्लू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाटन मेवान तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान।
6. श्रवण पुत्री लल्लू, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाटन मेवान, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर, राजस्थान वारिसान मृतक लल्लू पुत्र बुद्धाराम।

—अपीलांट्स

बनाम

1. बसन्ती पुत्री बुद्धाराम पत्नि बूटाराम, जाति कुम्हार, निवासी हाल रसगण, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर ।
2. चम्पा पुत्री बुद्धाराम, पत्नि रामसिंह, जाति कुम्हार, निवासी हाल रसगण, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर ।
3. सूरजा पुत्री बुद्धाराम पत्नि प्रभू, जाति कुम्हार, निवासी हाल बडकली, जिला नूंह मेवात हरियाणा ।
4. लक्ष्मी पुत्री बुद्धाराम पत्नि फूलसिंह, जाति कुम्हार, निवासी हाल नागलोई, नई दिल्ली।

—असल रेस्पोडेन्टान

5. ग्राम पंचायत पाटन मेवान, पंचायत समिति किशनगढ़बास, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पाटन मेवान, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर ।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर दिनांक 21.06.2016 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 वाके ग्राम पाटन मेवान, गलत तरीक पर खिलाफ मनशाये कानून निरस्त किया गया जो निर्णय निरस्त किये जाने योग्य व अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है व अन्य दादरसी।

उपस्थित—

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट
2. श्री रत्तीराम चौधरी वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–05.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर के आदेश दिनांक 21.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 21.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 21.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेण्ट्स की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहससुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा एक अपील संख्या इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 के विरूद्ध करीब 38 साल बाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी बुद्धा पुत्र देवीसहाय की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी। बुद्धा मजकूर का स्वर्गवास 1977 में हो गया था। जिसकी विरासत का इन्तकाल लल्लू पुत्र बुद्धाराम ने अपने नाम दर्ज व तस्दीक करा लिया। जबकि हम असल–रेस्पोडेन्ट भी इसकी लडकियां है । लल्लू की सम्पति में हमारा समान अधिकार है इन्तकाल संख्या 175 वगै0 जांच किये ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर हम पुत्रीयों के नाम भी इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। तहत् न्यायालय ने मिन अपीलान्ट के नाम कोई नोटिस जारी नही किये और दिनांक 21.06.2016 को लोक अदालत में बिना सहमति के व पक्षकारान की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। मृतक बुद्धा की विरासत का इन्तकाल मिन अपीलान्टान के पिता के नाम ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से मिन अपीलान्ट के पिता के नाम इन्तकाल संख्या 175 दर्ज व तस्दीक किया गया। जिसमें रेस्पोडेन्टान की भी पूर्ण रूप से सहमति थी। लेकिन अब बराह बदयान्ती रेस्पोडेन्ट ने जान बूझकर मिन अपीलान्टान को तंग व परेशान करने की नियत से व नाजायाज लाभ प्राप्त करने की वजह से तहत् न्यायालय में अपील 38 साल बाद प्रस्तुत की है। तहत् न्यायालय ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र का कोई निर्णय पारित नही किया जबकि कानूनन दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय सर्वप्रथम करना चाहिए था और तत्पश्चात् ही अपील का निर्णय करना चाहिए। इन्तकाल संख्या 175 में असल–रेस्पोडेन्ट पक्षकार नही थे। इसलिए उन्हे सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने की इजाजत तहत् न्यायालय से प्राप्त करनी चाहिए थी लेकिन तहत् न्यायालय में असल–रेस्पोडेन्ट द्वारा सेक्शन–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया और ना ही अपील प्रस्तुत करने की इजाजत ली गई। कानूनन लोक अदालत में उन्ही विचाराधीन प्रकरणों का निर्णय किया जाता है। जिनमें दोनो पक्ष सहमत हो । तहत् न्यायालय के समक्ष दोनो पक्ष उपस्थित नही थे और ना ही मिन अपीलान्टान की तामिल हुई थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्टान का उपस्थित होने का प्रश्न ही पैदा नही होता था । लेकिन तहत् न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन लोक अदालत में बिना

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

सहमति के मैरिट पर निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अपीलान्टान के पिता लल्लू सन् 1977 के बाद समस्त राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है इन्तकाल के माध्यम से किसी खातेदार की खातेदारी को समाप्त नही किया जा सकता है।ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर निर्णय दिनांक 21.06.2016 निरस्त किया जावे। इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 बहाल रखा जावे।

5. रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1लगायत 4के पिता का नाम बुद्धा पुत्र देवीसहाय था, जो कि अपीलाधीन विवादित कृषि भूमियों के खातेदार रहे है, जो कि मृतक बुद्धा पुत्र देवीसहायके विधिक वारिसान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 बहिस्सा बराबर है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 भी कानून हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक बुद्धा पुत्र देवीसहायके विधिक उत्तराधिकारी एवं वारीस है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियो को पुत्र के समान बराबर समान अधिकार दिये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिक वारिसान् की जॉच किये गुपचुप तरीके से इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 गलत दर्ज किया गया है। मतृक बुद्धा पुत्र देवीसहायकी विरासती आराजियात में रेस्पोडेण्ट्स अपने हिस्सा तक जरिये फोती/विरासती नामांतरण खातेदारी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर ने सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ही नामान्तरकरण निरस्त कर मृतक खातेदार के विधिक वारिसान् की जॉच कर रिमाण्ड करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को नकल दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार बुद्धा पुत्र देवीसहाय की विरासत को लेकर है।मृतक बुद्धा की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट्स के पिता के नाम ग्राम पंचायत के कोरम में प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से अपीलान्ट के पिता के नाम इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 दर्ज व तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा लगभग38 साल बाद नामा0 संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत पाटन मेवान द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 175 दिनांक 05. 08.1977 को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में दफा–5 के प्रार्थना पत्र का कोई निर्णय पारित नही किया जबकि कानूनन दफा–5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय सर्वप्रथम करना चाहिए था और इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 में असल–रेस्पोडेन्ट पक्षकार नही थे। इसलिए उन्हे सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने की इजाजत अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त करनी चाहिए थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया।

संभागीय आयुक्त

और ना ही अपील प्रस्तुत करने की इजाजत ली गई। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थना पत्र धारा–5 एवं 96 सी.पी.सी. को निर्णित किये बिना ही लगभग 38 वर्ष के अवधि बाधित अपील को बिना कोई कारण अंकित किये इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 को निरस्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं।जबकि नामान्तरकरण एक फिसीकल प्रोसेंडिग है इसके तहत किसी के अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अगर रेस्पो0 को अधिकार तय कराने है तो राक्षम सिविल न्यायालय से ही अधिकारों को निर्धारण किया जा सकता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ बास जिला अलवर का निर्णय दिनांक 21.06.2016 निरस्त किया जाता जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 05.08.1977 बहाल किया जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर